well qualified.	Pay Matrix or equivalent in
Note 2: The	the parent cadre or
qualification(s)	department; or
regarding experience	(iv) with eleven years' service
is/are relaxable at the	in the grade rendered after
discretion of the	appointment thereto on
Central Government/	regular basis in the Level 1 of
Competent Authority	the Pay Matrix or equivalent
in the case of	in the parent cadre or
candidates belonging	department; and
to Schedule Caste or	(b) possessing the educational
Scheduled Tribes if,	qualifications and experience
at any stage of	prescribed for direct recruits
selection, the Central	under column (7).
Government is of the	Note 1: Period of deputation
opinion that	including period of deputation
sufficient number of	to another ex-cadre post held
candidates from these	immediately preceding this
communities	appointment in the same or
possessing the	other organisations or
requisite experience	departments of the Central
are not likely to be	Government shall not exceed
available to fill up	three years.
the post reserved for	Note 2: The maximum age-
them.	limit for appointment by
	deputation shall be not
	exceeding fifty-six years as on
	the closing date of receipt of
	applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union
	Public Service Commission to
	be consulted in making
	recruitment
(12)	(13)
Group- 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering	Not applicable
Confirmation):	
Consisting of:-	
Joint Secretary (Administration)/ Deputy - Chairman	
Secretary (Administration), Union Public	
Service Commission	
Under Secretary (Recruitment Branch), - Member	
Union Public Service Commission	
Under Secretary (Examination Branch), - Member	
Union Public Service Commission	

[F. No. 39021/02/2018-Estt. (B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

Foot Note:- The Principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 154, dated 17th March, 2001 and subsequently amended vide G.S.R. 31, dated 4th February, 2012.

नई दिल्ली, 9 मई, 2019

सा.का.नि.122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग, अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण खण्ड समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 को संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, (ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. संघ लोक सेवा आयोग (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) खण्ड समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है।), नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात-:
 - **"2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. उक्त नियमों में, अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

अनुसूची वर्गीकरण सीधी भर्ती किए जाने वाले सीधी भर्ती किए जाने वाले पदों की पद का वेतन चयन पद मैट्क्सि में है अथवा व्यक्तियों के लिए आय्-सीमा व्यक्तियों के लिए अपेक्षित नाम संख्या शैक्षिक और अन्य अर्हताएं स्तर अचयन पद (2)(3)(4) (5) (6) (7)(1) 02 * 40 वर्ष से अधिक नहीं । स्तर-11 ज्येष्ठ साधारण चयन पद आवश्यक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-अनुसंधान केंद्रीय सेवा, (₹ मान्यता प्राप्त (2019)समय पर जारी किए गए अधिकारी 67700-विश्वविद्यालय या संस्थान से *कार्यभार समूह 'क' 208700) अनुदेशों या अनुदेशों के सांख्यिकी संक्रिया या (अनुसंधान, के आधार राजपत्रित, अनुसार सरकारी सेवकों के अनुसंधान गणित या सांख्यिकी अननुसचिवीय लिए पाँच वर्ष तक शिथिल अनुपयुक्त सांख्यिकी और परिवर्तन की जा सकती है।) अनुप्रयुक्त गणित या गणितीय विश्लेषण) किया जा **टिप्पणी** :- आयु - सीमा सांख्यिकी में मास्टर डिग्री; या सकता है। अवधारित करने के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर निर्णायक तारीख भारत में पर एक विषय के रूप में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त सांख्यिकी के साथ किसी करने के लिए नियत की गई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अंतिम तारीख होगी (न कि या संस्थान से अर्थशास्त्र या वह अंतिम तारीख जो असम, समाजशास्त्र या मनोविज्ञान मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, या वाणिज्य में मास्टर डिग्री ; और मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, (ख) सांख्यिकीय आंकड़ों का त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -विश्लेषण तथा उनके निर्वचन कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, में केंद्रीय सरकार या राज्य हिमाचल प्रदेश के लाहौल सरकार या विश्वविद्यालयों और स्पीति जिले तथा चंबा-मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण जिले के पांगी उपखंड संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप के उपक्रम या वैधानिक तथा या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के स्वायत्त संगठन या भर्ती बोर्ड लिए विहित की गई है)। अर्थात बैंककारी अथवा रेल भर्ती बोर्ड या भारतीय तकनीकी संस्थान या भारतीय प्रबंधन संस्थान या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य माध्यमिक या तकनीकी शिक्षा बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय

	ı	ı	I	T	, , ,
					अनुदान आयोग या वैज्ञानिक
					और औद्योगिक अनुसंधान
					परिषद के अंतर्गत पांच वर्ष
					का अनुभव रखते हों ।
					वांछनीय : किसी मान्यता
					प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा
					प्रदत्त कंप्यूटर अनुप्रयोग में
					स्नातकोत्तर डिप्लोमा या
					इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा
					प्रत्यायित कंप्यूटर पाठ्यक्रम
					के अधीन 'ए' स्तर डिप्लोमा ।
					टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा
					सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में
					संघ लोक सेवा आयोग के
					विवेकानुसार शिथिल की जा
					सकती है ।
					टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी
					अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक
					सेवा आयोग के विवेकानुसार
					अनुसूचित जातियों और
					अनुसूचित जनजातियों के
					अभ्यर्थियों की दशा में तब
					शिथिल की जा सकती है जब
					चयन के किसी प्रकार पर संघ
					लोक सेवा आयोग की यह राय
					है कि उनके लिए रिक्त पदों को
					भरने के लिए अपेक्षित अनुभव
					रखने वाले उन समुदायों के
					अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
					उपलब्ध होने की संभावना
1					
					नहीं है ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयु : नहीं शैक्षिणिक : नहीं		प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नित : ऐसा अनुसंधान अधिकारी(अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर ऐसा अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में, जिसने संयुक्त रूप से आठ वर्ष की नियमित सेवा अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) और किनष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) जिसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 है, की हो जिसमें से अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की अविध नियमित सेवा की हो और राष्ट्रीय सूचना केंद्र या सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान या सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थान से प्रारंभिक स्तरीय डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1:- जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपने अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसे अर्हत या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हत या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसे अर्हत या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्त (अल्पकालिक संविदा सहित):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी –

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं ; या
 - (ii) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 या समतुल्य श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या
 - (iii) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 या समतुल्य श्रेणी में छ: वर्ष की नियमित सेवा की है ; और
- (ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
(12)	(13)		
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत		
निम्नलिखित होंगे :-	अल्पकालिक संविदा भी है ।) में नियुक्ति के लिए, संघ		
1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष	लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।		
2. अपर सचिव (प्रशासनिक शाखा का भार साधक), - सदस्य			
संघ लोक सेवा आयोग			
3. अपर सचिव (परीक्षा सुधार शाखा का भारसाधक), - सदस्य			
संघ लोक सेवा आयोग			
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें			
निम्नलिखित होंगे :-			
1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष			
2. अपर सचिव (प्रशासनिक शाखा का भार साधक) - सदस्य			
संघ लोक सेवा आयोग			
3. अपर सचिव (परीक्षा सुधार शाखा का भारसाधक), - सदस्य			
संघ लोक सेवा आयोग			

[फा.सं. 39021/02/2018-स्था. (बी)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग- II, खंड-3, उपखंड (i), तारीख 19 फरवरी, 2013 में अधिसूचना सख्यांक सा.का.नि. 51, तारीख 23 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

New Delhi, the 9th May, 2019

- **G.S.R.** 122.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission, Research, Statistics and Analysis Wing Group 'A' and 'B' posts Recruitment Rules, 2013, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Senior Research Officer (Research, Statistics and Analysis) Recruitment (Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Union Public Service Commission, Research, Statistics and Analysis Wing Group A and B post Recruitment Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-
- **"2. Number of post, classification and level in the pay matrix.-** The number of post, classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".
- 3. In the said rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

		SCHEDULE		
Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay	Whether selection
			matrix	or non-selection
				post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Research	02* (2019)	General Central	Level 11	Selection post
Officer (Research,	*Subject to variation	Service, Group 'A'		
Statistics and	dependent on work	Gazetted, non-	(Rs. 67700-208700)	
Analysis)	load	Ministerial		

Age-limit for direct	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and
recruits		educational
		qualifications
		prescribed for direct
		recruits will apply in
		the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 40 years	Essential:	Age: No
(Relaxable for		Educational
Government servants up	(a)(i) Masters degree in Statistics or Operation Research or	Qualification: No
to five years in accordance	Mathematics or Applied Statistics or Applied Mathematics/	
with the instructions and	Mathematical Statistics from a recognised University or Institute;	
orders issued by the	or	
Central Government from	(ii) Masters degree in Economics or Sociology or Psychology or	
time to time.)	Commerce with Statistics as one of the subject at graduate level	
Note: The crucial date for	or Post Graduate level from a recognised university; and	
determining the age-limit		
shall be the closing date	(ii) possessing five years' experience of analysis of statistical	
for the receipt of	data and interpretation in Central Government or State	
applications from	Government or Universities or Recognised Training Institute or	
candidates in India (and	Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous	
not the closing date	Organizations or Recruitment Boards e.g. Banking and Railway	
prescribed for those in	Recruitment Boards or Indian Institute of Technology or Indian	
Assam, Meghalaya,	Institute of Management or Central Board of Secondary or	
Arunachal Pradesh,	Technical Education or Staff Selection Commission or Union	
Mizoram, Manipur,	Public Service Commission or University Grants Commission or	
Nagaland, Tripura,	Council of Scientific and Industrial Research.	
Sikkim, Ladakh division	Desirable: Post Graduate diploma in Computer Application	
of Jammu and Kashmir	awarded by any recognised University or 'A' level Diploma	
State, Lahaul and Spiti	under Department of Electronics' accredited computer course.	
District and Panghi Sub-	Note 1: The qualification(s) are relaxable at the discretion of the	
Division of Chamba	Union Public Service Commission in the case of candidates	
District of Himachal	otherwise well qualified for the reasons to be recorded in writing.	
Pradesh, Andaman and	Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at	

Nicobar	Island	or	the discretion of the Union Public Service Commission for the	
Lakshadwee	ep)		reasons to be recorded in writing in the case of candidates	
			belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if, at any stage	
			of selection, the Union Public Service Commission is of the	
			opinion that sufficient number of candidates from these	
			communities possessing the requisite experience are not likely to	
			be available to fill up the post reserved for them.	

D ' 1 C 1 '	N. 1 1 C	
Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made
(9)	(10)	(11)
One year for direct recruits	Promotion failing which by Deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment	Promotion: Research Officer (Research, Statistics and Analysis) in the Level 10 of the pay matrix with five years' regular service in the grade, failing which Research Officer (Research, Statistics and Analysis) in the Level 10 of the pay matrix with combined regular service of eight years in the grade of Research Officer (Research, Statistics and Analysis) and Junior Research Officer (Research, Statistics and Analysis) in the level 7 of the pay matrix, out of which minimum three years regular service as Research Officer (Research, Statistics and Analysis) and having completed successfully a training on elementary level Data Base Management System related course from National Informatics Centre or Institute of Secretariat Training and Management or Government sponsored institute. Note 1 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 10 in the pay matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 8 in the pay matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under col

Note 3 The maximum age-limit for appointment by
deputation (including Short term Contract) shall be not
exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of
applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union
	Public Service Commission to
	be consulted in making
	recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting	Consultation with Union Public
of :-	Service Commission is
Secretary, Union Public Service Commission - Chairman;	necessary in making direct
	recruitment and while
Additional Secretary (In-charge of Administration - Member;	appointing an officer on
Branch), Union Public Service Commission	deputation (including short term
	contract).
Additional Secretary (In-charge of Examination - Member.	
Reforms Branch), Union Public Service	
Commission	
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)	
consisting of :-	
Secretary, Union Public Service Commission - Chairman;	
Additional Secretary (In-charge of Administration - Member;	
Branch), Union Public Service Commission	
Aller 10 and The Company	
Additional Secretary (In-charge of Examination - Member.	
Reforms Branch), Union Public Service	
Commission	

[F.No. 39021/02/2018-Estt.(B)] RAJBIR SINGH, Under Secy.

Foot Note: The Principal Rules were published vide notification number G.S.R. 51, dated the 19^{th} February, 2013 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 23^{rd} February, 2013.

नई दिल्ली, 9 मई, 2019

- **सा.का. नि. 123.** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) भर्ती नियम, 2013 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-
 - 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) भर्ती (संशोधन नियम), 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) भर्ती नियम,2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है।), नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-